हरियाणा राज्य

बनाम

जरनैल सिंह और अन्य

अप्रैल 29,2004

[एन. संतोश हेगड़े और बी. पी. सिंह, जे. जे.]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 - धारा 50 और 42 - सार्वजनिक स्थान पर वाहन की तलाशी पर प्रतिबंधित वस्तु की वसूली, पुलिस अधीक्षक खोज दल का सदस्य होना - धारा 50 और 42 का आवेदन - अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन – अभिनिर्धारितः ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, धारा 50 लागू नहीं होती है क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर वाहन की तलाशी पर प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है और व्यक्तिगत तलाशी नहीं - इसके अलावा धारा 42 लागू नहीं होती है क्योंकि धारा 42 के परंतुक द्वारा विचार किए गए अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के लिए तलाशी लेने वाले अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं थी - इसके अलावा पुलिस अधीक्षक तलाशी दल का सदस्य होने और अपने अधिकार का प्रयोग करने के कारण, धारा 42 आकर्षित नहीं होती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ने बल के अन्य सदस्यों के साथ ऊंचे रास्ते पर चलने वाले वाहनों की जांच करते हुए, एक टैंकर

को रोका। टैंकर के केबिन में बैठे प्रत्यर्थी-व्यक्तियों से पूछताछ की गई, टैंकर की तलाशी ली गई और 73 बोरों में प्रत्येक में 18 किलोग्राम पोस्ता भूसी पाई गई। नमूनों को सील कर दिया गया और एन.डी.पी.एस.अधिनियम और नियमों के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए गए। उत्तरदाताओं पर विचारण चलाया गया और उन्हें स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें अधिनियम की धारा 42 और 50 की आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण दोषमुक्त कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करने में गलती की चूंकि तलाशी राजमार्ग-एक सार्वजानिक स्थान पर की गई थी और न कि एक निजी संलग्न स्थान पर, इस प्रकार धारा 42 लागू नहीं थी; और धारा 50 लागू नहीं हुई क्योंकि निषिद्ध वस्तु आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी पर नहीं, बल्कि वाहन की तलाशी पर बरामद की गई थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: तत्काल मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि टैंकर सार्वजनिक राजमार्ग पर चल रहा था जब इसे रोका गया और तलाशी ली गई। तथ्यों पर, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा

50 लागू नहीं थी क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ एक वाहन की तलाशी पर बरामद किया गया था और इसमें कोई व्यक्तिगत तलाशी शामिल नहीं थी। इसके अलावा, वाहन में ले जाए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, और बरामदगी सामान्य रूप से वाहन की जाँच का परिणाम थी। अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के लिए खोज का संचालन करने वाले अधिकारी की आवश्यकता धारा 42 के परंतुक द्वारा अनुध्यात भी अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वसूली सार्वजनिक स्थान पर की गई थी और इसलिए, धारा 43 द्वारा शासित थी जो ऐसी किसी भी आवश्यकता को निर्धारित नहीं करती थी। इसके अलावा, चूंकि पुलिस अधीक्षक खोज दल का सदस्य था और धारा 41 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा था, इसलिए धारा 42 का प्रावधान आकर्षित नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से गलत होने के कारण अपास्त किया जाता है और प्रत्यार्थियों को प्रत्येक को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, और रुपये 1,00,000 का जुर्माना देना और व्यतिक्रम पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। [869-ई-एच]

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [999] 6 एससीसी 172; कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [1999] 8 एससीसी 257; गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2001] 3 एससीसी 28; मदन लाल बनाम

एच.पी.राज्य, [2003] 7 एससीसी 465; बीरकिशोर कर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2000] 9 एससीसी 541; साइकोठ जब्बी बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2004] 2 एससीसी 186 और एम.प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, [2003] 8 एससीसी. 449, संदर्भित।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 918/1998

आपराधिक अपील सं. 146-एसबी/1996 में पंजाब और हरियाणा के निर्णय और आदेश दिनांक 29.8.97 से।

डी.पी. सिंह, वी. के.गर्ग, सुश्री अवनीत तूर और मनु शर्मा, अपीलार्थी की और से।

आर.के. तलवार, अमित तलवार और वाई.पी. ढींगरा, प्रत्यार्थियों की और से।

न्यायालय का निर्णय बी. पी. सिंह, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया –

हरियाणा राज्य ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को अपराधिक अपील संख्या 146-एसबी/96 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 29 अगस्त, 1997 के खिलाफ प्राथमिकता दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (यहाँ इसके बाद 'एनडीपीएस अधिनियम' से संदर्भित) की धारा 15 के तहत आरोप से धरा 42 और 50 की आवश्यकताओं के पलना नहीं करने के कारण दोषमुक्त कर

दिया गया था। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अम्बाला द्वारा प्रत्यार्थियों का विचारण किया गया और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें 1010 साल प्रत्येक को कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में आगे 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा होगी।

मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 20 फरवरी, 1992 को उप निरीक्षक मेहर सिंह, एसएचओ पुलिस स्टेशन मुलाना, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ गश्त पर थे और एक सरकारी जीप में घूम रहे थे। रास्ते में वे पुलिस अधीक्षक महिंदर सिंह अहलावत से मिले, जिसके बाद उन्होंने उनके साथ लगभग 8 बजे राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने गांव धनोरा के मोड़ पर नाकाबंदी की। लगभग उसी समय साधोरा की ओर से एक टैंकर न.यूआरम-2092 आया। उसे रुकने का संकेत दिया गया, लेकिन रुकने के बजाय टैंकर तेजी से भाग गया। इससे संदेह पैदा हुआ और इसलिए टैंकर का पीछा किया गया और उसे रुकने के लिए मजबूर किया गया। यह पाया गया कि टैंकर के केबिन में तीन लोग बैठे थे और इसे प्रत्यर्थी मोहन कृष्ण चला रहा था। अन्य दो, नामित जरनैल सिंह और पृथ्वी राज उनके साथ बैठे थे। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद गवाहों और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में टैंकर की

तलाशी ली गई। टैंकर के बीच के भाग का ढक्कन खुलने पर वहां बहुत सारे बोरे पड़े पाए गए। बोरे में से एक को बाहर निकाला गया और जाँच करने पर उसमें पोस्ता भूसी पाया गया। इसके बाद सभी 73 थैलों को निकाला गया और जाँच करने पर पता चला कि वे भी पोस्ता भूसी से भरे हुए थे। वजन तराजू लाए गए और थैलों को अलग से तौला गया। यह पाया गया कि प्रत्येक थैले में 18 किलोग्राम पोस्ता भूसी थी। इसके बाद कानून द्वारा आवश्यकतानुसार नमूनों को सील कर दिया गया और उसके बाद एनडीपीएस अधिनियम और नियमों के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए गए। प्रत्यार्थियों के विरुद्ध विचारण चलाया गया और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था जैसा पहले इंगित किया गया है। प्रत्यर्थियों की अपील पर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोषमुक्त होने के हकदार हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और धारा 42 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू होते हैं और वाहन की तलाशी लेने से पहले आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि एक पुलिस अधीक्षक, जो एक राजपत्रित अधिकारी था, वाहन की तलाशी लेने वाले खोज दल का सदस्य था। इसने आगे निर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 42 का पालन नहीं किया गया था क्योंकि एसएचओ मेहर सिंह ने तलाशी में प्रवेश करने

से पहले अपने इस विश्वास के आधार को दर्ज नहीं किया था कि उनके पास यह मानने के कारण थे कि एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कुछ प्रतिबंधित पदार्थ वाहन में ले जाया जा रहा था और एक सक्षम मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त करने का प्रयास उद्देश्य को विफल कर देगा या अपराधी को भागने में मदद करेगा। नतीजतन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(1) के परंतुक के प्रावधानों अनुपालन नहीं करने के कारण भी विचारण दूषित हो गया था।

हमारे समक्ष अपील में हरियाणा राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने में पूरी तरह से गलत था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधान इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि तलाशी एक निजी संलग्न स्थान पर नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्थान, अर्थात् राजमार्ग पर की गई थी। इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 लागू थी न कि धारा 42। इसलिए, धारा 42 की आवश्यकताओं का पालन करने का कोई दायित्व नहीं था। दूसरा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हुई क्योंकि प्रतिबंधित वस्तु आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी पर नहीं, बल्कि वाहन की तलाशी पर बरामद की गई थी। धारा 50 व्यक्तिगत खोज तक इसके अनुप्रयोग में सीमित है।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने, हालांकि, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के समर्थन करने की मांग की।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश स्पष्ट रूप से गलत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एससीसी 172 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक रूप से विचार किया। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुप्रयोग के संबंध में, न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

> "इसके सादे पठन से, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी जो किसी परिसर आदि की तलाशी से अलग है। हालाँकि, यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के, ऐसा करता है किसी अपराध या संदिग्ध अपराध के अन्वेषण के सामान्य अनुक्रम के दौरान किसी व्यक्ति की तलाशी या गिरफ्तारी का कारण बनता है और उस खोज के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद की जाती है, अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।"

इस न्यायालय के कई निर्णयों में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया है, जिसमें कालेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [1999] 8 एससीसी 257; गुरबक्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2001] 3 एससीसी 28;

माडल लाल बनाम एच.पी. राज्य, [2003] 7 एससीसी 465; बीरकिशोर कर बनाम उड़ीसा राज्य, [2000] 9 एससीसी 541 और साइकोउ जब्बी बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2004] 2 एससीसी 186 हैं। धारा 50 की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और कानून इतना अच्छी तरह से स्थापित है कि एक अलग दृष्टिकोण लेना संभव नहीं है। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है, जहां एक टैंकर की तलाशी लेने पर, एक वाहन, पोस्ता भूसी बरामद की गई थी। यह व्यक्तिगत खोज का मामला नहीं होने के कारण, धारा 50 लागू नहीं थी। इसके अलावा, वाहन में ले जाए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, और बरामदगी सामान्य रूप से वाहन की जाँच का परिणाम थी।

अगला सवाल यह है कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है। हमारे विचार में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। धारा 42 उन विभागों के एक अधिकारी को, जो इस संबंध में विधिवत सशक्त हैं, किसी भी ऐसी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए अधिकृत करती है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि कोई मादक दवा या मादक पदार्थ आदि किसी भी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में रखा या छुपाया गया है। इस

शक्ति का प्रयोग सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यदि ऐसा कोई अधिकारी ऐसी इमारत, परिवहन या संलग्न स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने का प्रस्ताव करता है, तो उसे अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करना होगा कि साक्ष्य छुपाने का अवसर देना या अपराधी को भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में यह प्रावधान है कि धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में किसी भी नशीली दवा या मादक पदार्थ आदि को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी तलाशी लेने के लिए भी अधिकृत है, जिसके पास उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। धारा 43 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" में कोई भी सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान, या अन्य स्थान शामिल है जो जनता के उपयोग के लिए है या जनता के लिए सुलभ है।

इसलिए धारा 42 और 43 में दो अलग-अलग स्थितियों पर विचार किया गया है। धारा 42 किसी भी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश

करने और उसकी तलाशी लेने पर विचार करती है, जबकि धारा 43 किसी भी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में की गई जब्ती पर विचार करती है। यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच धारा 42 के तहत जब्ती की जाती है, तो इसके लिए परंतुक की आवश्यकता का पालन करना होगा। अधिनियम की धारा 43 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सार्वजनिक वाहन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

तत्काल मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि टैंकर सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था जब इसे रोका गया और तलाशी ली गई। इसलिए, धारा 43 इस मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है। इस तरह की तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण धारा 42 के परंतुक द्वारा विचार किए गए अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के लिए खोज करने वाले अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधीक्षक भी खोज पार्टी का एक सदस्य था। इस न्यायालय द्वारा एम.प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, [2003] 8 एससीसी 449 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 के तहत स्वयं कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाती

है, वहां धारा 42 की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था। इस कारण से भी, इस मामले के तथ्यों में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के परंतुक की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था।

इसलिए, हम मानते हैं कि इस मामले के तथ्यों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं थी क्योंकि एक वाहन की तलाशी पर प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था और इसमें कोई व्यक्तिगत तलाशी शामिल नहीं थी। धारा 42 के परंतुक की आवश्यकता का अनुपालन करना भी आवश्यक नहीं था क्योंकि वसूली सार्वजनिक स्थान पर की गई थी और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 43 द्वारा शासित थी जिसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि पुलिस अधीक्षक खोज दल का सदस्य था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा था, इसलिए धारा 42 का प्रावधान लागू नहीं हुआ।

परिणामस्वरूप इस अपील को स्वीकार किया जाता है, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और प्रत्यार्थियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रत्येक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और 100000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, व्यतिक्रम में, दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा । प्रत्यार्थियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की

धारा 428 के प्रावधानों के अंतर्गत सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाए।

एन.जे.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****